

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख  
अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री लाखाराम, आर.ए.एस.  
आवेदन संख्या :- 117/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सुखराम पुत्र करनाराम		1. बाबूलाल पुत्र श्रीराम
2. पूनमाराम पुत्र करनाराम		2. गंगाराम पुत्र कानाराम
3. केशरीमल पुत्र करनाराम		3. बाबूलाल पुत्र गंगाराम
जाति विशनोई निवासी गडरा (नेडीनाडी) तहसील धोरीमन्ना		4. हरिकिशन पुत्र गंगाराम जाति विशनोई निवासी गडरा (नेडीनाडी) तहसील धोरीमन्ना
		5. तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :- 08/08/23

अधिवक्तागण :- 1. श्री ओमप्रकाश विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

- :: निर्णय :: -

दिनांक :- 20/12/23

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विशनोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा गडरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा-सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काशत एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काशत के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काशत कर लेते हैं तथा काशत के समय लड़ाई फंसाद आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नहीं कर पा



20/12/23  
उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

रहे हैं, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेटों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 18.04.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा गडरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- के साथ पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 04 को जरिये रजिस्ट्रेंड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाए गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 31.10.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा संख्या 65 रकबा 01.6916 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.04.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 4/1 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ोसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 4/1 रकबा 1.9425 किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।



20/12/23  
उपराज्य अधिकारी  
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

— :: आदेश :: —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम गडरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 8 के खसरा संख्या 4/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे-खर्चे से उसके खसरा संख्या 4/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफतर हो।



निर्णय आज दिनांक 20/12/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

20/12/23  
(लाखाराम RAS)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,  
धोरीमन्ना

20/12/23  
(लाखाराम RAS)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,  
धोरीमन्ना